न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।

UPAU01001020-2026 ; जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 364/2026

उपस्थित : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code : U.P. 6484

-

श्यामू पुत्र सूवेदार दिवाकर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अर्धना थाना सजेती कोतवाली व जनपद कानपुर नगर । ...अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ...अभियोगी

-

मुकदमा अपराध संख्या : 23/2026 ; धारा : 137(2),87 भारतीय न्याया संहिता

थाना : ऐरवाकटरा । ; जिला : औरैया ।

जमानत आदेश

16-03-2026

अभियुक्त श्यामू पुत्र सुबहदास की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 23/2026 धारा 137(2),87 भारतीय न्याया संहिता थाना ऐरवाकटरा जिला औरैया, के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त की ओर से इस जमानत प्रार्थना पत्र मे निम्न आधार प्रस्तुत किये गये है कि "...अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में रंजिश के कारण झूठा फसाया गया है जबकि अभियुक्त कतई निर्दोश है । अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी-मुकदमा की पुत्री शिवानी कुमारी उम्र करीब 16 वर्ष 6 माह दिनांक 25-02-2026 को घर से लगभग 12 बजे कक्षा 12 के शाम टाइम पेपर देने के लिए निकली थी लेकिन वह स्कूल नही पहुंची तो मेरे पास स्कूल से सूचना मिली कि आपकी पुत्री पेपर देने नही आयी है तो मैंने उसके बारे में जानकारी ली तो बाद में पता चला कि अभियुक्त उसे कहीं बहला-फुसला कर ले गया है । बार-बार फोन करने पर कह रहा है कि क्यों बार-बार फोन कर रहे हो और सही जानकारी नही दे रहे हो । इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करे...।" उपरोक्त अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन काफी देरी से दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि काफी सलाह मशवरा के पश्चात अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में नामित कर दिया गया है । उपरोक्त अभियोग की घटना दिन में 12:00 बजे घर से विद्यालय जाते समय की होनी बतायी गयी है लेकिन घटना का कोई भी साक्षी नही बताया गया है जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है । पीड़िता की बरामदगी के पश्चात पीड़िता के 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस में काफी भिन्नता व विरोधाभाष है तथा 183 बीएनएसएस के बयानो में पीड़िता द्वारा अपनी मर्जी से बैंगलोर जाना तथा कोई शारीरिक सम्बंध बनाना नही बताया गया है ।

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.03.16 16:58:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पीड़िता द्वारा स्वेच्छा से अपना आन्तरिक मेडिकल परीक्षण भी नही कराया गया है । अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अभियोग की घटना से सम्बंधित कोई अपराध कारित नही किया गया है तथा पीड़िता द्वारा अपनी मर्जी से बैंगलोर जाना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त पीड़िता को बहला–फुसला कर नही ले गया था । कथित घटना के समय पीड़िता इण्टरमीडिएट की छात्रा थी तथा शैक्षिणिक प्रपत्र व मेडिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता पूर्णतया बालिग थी । वास्तविकता यह है वादी–मुकदमा के मौहल्ले में अभियुक्त की सगी भांजी रहती है तथा वादी–मुकदमा व भांजी की आपस में जमीनी रंजिश चल रही है । इस कारण दबाव बनाने के उद्वेश्य से अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में झूठा नामजद कर दिया गया है । अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–03–2026 को खारिज किया जा चुका है जिसकी सत्यप्रतिलिपि साथ में संलग्न है । अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है । अभियुक्त को प्रथम बार उपरोक्त अभियोग में झूठा फसाया गया है । अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है तथा अभियुक्त को श्रीमान जी द्वारा जमानत प्रदान किये जाने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय श्रीमान के प्रत्येक आदेश व निर्देश का अक्षरशः पालन करेगा । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की कृपा करे ।"

वादी–मुकदमा प्रभात कुमार द्वारा इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ऐरवाकटरा पर दिनांक 26–02–2026 को समय 14:59 बजे अभियुक्त श्यामू को नामजद करते हुए दर्ज करायी गयी जिसमे यह कथन उल्लिखित किया गया कि "...आज दिनांक 25–02–2026 को मेरी पुत्री शिवानी कुमारी उम्र लगभग 16 वर्ष 6 माह घर से लगभग 12:00 बजे कक्षा 12 के शाम टाइम पेपर देने के लिए निकली थी लेकिन वह स्कूल नही पहुंची तो मेरे पास स्कूल से सूचना मिली कि आपकी पुत्री पेपर देने नही आयी तो मैने उसके बारे मे जानकारी ली तो बाद मे पता चला कि श्यामू पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम अर्धना चौकी कुआखेड़ा जिला कानपुर नगर उसे कहीं बहला–फुसला कर ले गया । बार–बार फोन करने पर कह रहा है कि क्यों बार–बार फोन कर रहे हो और सही जानकारी नही दे रहा है । महोदय निवेदन है कि आप उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करे आपकी महान दया होगी ।"

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा इस जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुई केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट व थाना ऐरवाकटरा की आख्या व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

अभियुक्त श्यामू पर यह आरोप है कि वह वादी–मुकदमा की नाबालिग पुत्री शिवानी कुमारी जिसकी उम्र 16 वर्ष 6 माह बतायी गई है, उसे बहला–फुसला कर अपने साथ बेंगलुरु ले गया जबकि शिवानी कुमारी उस दिन कक्षा 12 का पेपर देने के लिए घर से निकली थी और रास्ते में ही अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया और बहला–फुसला कर अपने साथ ले गया जिस कारण वह स्कूल नही पहुंच पायी । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस घटना का कोई साक्षी नही है और पीड़िता की बरामदगी के पश्चात पीड़िता के धारा 180 BNSS व धारा 183 BNSS में काफी भिन्नता व विरोधाभाष है । यहां पर न्यायालय का यह अभिमत है कि जहां तक प्रश्न इस घटना के किसी साक्षी के होने अथवा नही होने का है तो यह एक साक्ष्य का विषय है जो दौरान विवेचना विचारणीय होगा क्योंकि अभी विवेचना प्रचलित है । इसके अलावा केस–डायरी में पीड़िता शिवानी के 180 BNS के बयानों में उसने यह कहा है कि उसने अभियुक्त श्यामू के साथ शादी कर ली है और यह शादी बेंगलुरु में शिव मंदिर में की है और दोनो के बीच शारीरिक संबंध

भी बने है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 6 माह बतायी गई है जिससे वह प्रथम दृष्ट्या नाबालिग व्यक्ति की श्रेणी में आती है । ऐसी दशा में नाबालिग पीड़िता की सहमति का कोई भी साक्ष्यिक महत्व नही है अर्थात् उसकी सहमति महत्वपूर्ण नही है । धारा 87 BNSS के अनुसार जो कोई किसी औरत को इस इरादे से किडनैप या अगवा करता है कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, किसी व्यक्ति से उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करने के लिए, या ताकि उसे ज़बरदस्ती या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे ज़बरदस्ती या बहकाया जाएगा, तो उसे दस साल तक की जेल हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में बताई गई क्रिमिनल धमकी या अधिकार का गलत इस्तेमाल करके या ज़बरदस्ती के किसी और तरीके से, किसी औरत को किसी जगह से जाने के लिए उकसाता है, इस इरादे से कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है या बहकाया जाएगा, वह भी ऊपर बताई गई सज़ा के लायक होगा । इसी प्रकार धारा 137(2) BNSS के अनुसार जो कोई भी भारत से या कानूनी गार्जियनशिप से किसी व्यक्ति को किडनैप करता है, उसे सात साल तक की जेल की सज़ा दी जाएगी, और जुर्माना भी देना होगा ।

इस तरह से इस अपराध मे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी है और प्रथम दृष्टया मामला गम्भीर प्रकृति का भी प्रतीत होता है जिसमे अभियुक्त पर वादी–मुकदमा की नाबालिग पुत्री जो कि कक्षा 12 की छात्रा थी, उसे बहला– फुसला कर शादी के लिए करने के लिए बेंगलुरु ले जाना बताया गया है जैसा कि पीड़िता ने भी अपने धारा 180 BNSS के बयानों में भी कहा है कि बेंगलुरु में किसी शिव मंदिर में शादी की और दोनो के बीच शारीरिक संबंध भी बने जबकि नाबालिग पीड़िता की सहमति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त श्यामू को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नही है । फलस्वरुप अभियुक्त श्यामू का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्त श्यामू का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

दिनाँक : 16–03–2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}